भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 386
उत्तर देने की तारीख : 22/07/2025

स्थानीय निकायों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण

386. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों, राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों जैसे स्थानीय निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन का वर्ष क्या है;

(ख) क्या सरकार का शासन में दिव्यांग व्यक्तियों के निरंतर कम प्रतिनिधित्व को देखते हुए, देश भर के स्थानीय निकायों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय नीति लाने या संबंधित कानूनों में संशोधन करने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में चुनाव आयोग, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग या किसी विशेषज्ञ समिति से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लोकतांत्रिक शासन के सभी स्तरों पर दिव्यांग व्यक्तियों की अधिक राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) जैसी स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य का विषय है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण से अलग, भारत के संविधान के तहत पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों जैसे स्थानीय निकायों में दिव्यांगजनों के लिए राजनीतिक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 दिव्यांगजनों को

समानता और गैर-भेदभाव का अधिकार प्रदान करता है और इस प्रकार दिव्यांगजनों पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, लोकतांत्रिक शासन में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण के उद्देश्य से पदों की पहचान करने के लिए केन्द्रीय और राज्य दिव्यांगजन सलाहकार बोर्डों और विशेषज्ञ समितियों में दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 11 भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश देती है कि सभी मतदान केंद्र दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य हों और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्री उनके लिए आसानी से समझने योग्य और सुगम्य हो। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता पंजीकरण और मतदान को सुगम्य बनाने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे कि दिव्यांगजनों की मैपिंग, व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (एसवीईईपी) कार्यक्रम के माध्यम से सुगम्य मतदाता शिक्षा जिसमें सुगम्य प्रारूपों में अभियान, बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान का प्रावधान आदि शामिल हैं। ईसीआई ने 'सक्षम ऐप' भी शुरू किया है जो दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर तक पहुंच या मतदान केंद्रों तक परिवहन जैसी सहायता प्रदान करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है।

*****